

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 20/जीएस/82-2015

दिनांक: 24.01.2017

निविदा आमंत्रण सूचना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली, अपने पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली के कार्यालय में “बाहरी खिड़कियों की सफाई” के लिए अपेक्षित सुविधा और अनुभव वाली एजेंसियों से एकीकृत तरीके (एकल बोली) के तहत मुहरबंद उद्धरण आमंत्रित करता है।

मुहरबंद उद्धरण वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (जीएस) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110124 को सम्बोधित निर्धारित प्रोफार्मा में विधिवत रूप से भर कर **दिनांक 23.02.2017** को 11.00 बजे तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए। मुहबंद उद्धरण नियत तिथि एवं समय तक इस कार्यालय के जीएस अनुभाग में डिलीवर किया जाना चाहिए। सभी निबंधन एवं शर्तों के साथ विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, पाकेट 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली के जीएस अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में अपराह्न 4.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे के बीच लिया जा सकता है। यह <http://saiindia.gov.in>. वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यह बोली भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय, नई दिल्ली में इस कार्यालय द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा तथा ऐसे बोलीदाताओं जो उपस्थित होने के इच्छुक हैं की उपस्थिति में समिति कक्ष में **दिनांक 23.02.2017 को अपराह्न 3:00 बजे** खोली जायेगी। सक्षम प्राधिकारी के पास कोई कारण बताए बिना किसी या सभी उद्धरणों को अस्वीकृत करने का अधिकार है।

(दिनेश कुमार)

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जीएस)

संलग्न:

1. संलग्नक-I (सामान्य निबंधन एवं शर्तें/कार्य की सूची)
2. संलग्नक-II (कीमतों का उद्धरण)
3. संलग्नक-III (निविदा आवेदन फार्म)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 20/जीएस/82-2015

दिनांक: 24.01.2017

अनुबंध-1

सामान्य निबंधन एवं शर्तें

1. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय एक अनुभव प्राप्त और अनुबंध की तिथि से दो वर्षों की अवधि हेतु बाहर की ओर की खिड़कियों के सफाई कार्य की सुविधा देने वाली एजेंसी से सेवाओं को भाड़े पर लेगा।
2. **पार्टियां:-** बोली की पार्टियां बोलीदाता (जिसे कार्य दिया गया है) और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली होंगी।
3. **पता:-** इसके अंतर्गत विवाचन सहित ठेका के सभी उद्देश्यों के लिए बोली में उल्लिखित बोलीदाता का पता अंतिम होगा जब तक कि बोलीदाता भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को देय पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए पृथक पत्र द्वारा पते के परिवर्तन की अधिसूचना नहीं देगा। बोलीदाता उपरोक्त तरीके से पते में परिवर्तन की अधिसूचना देने में किसी गलती या चूक के परिणामों हेतु एकमात्र उत्तरदायी होगा।
4. **बयाना राशि जमा (ईएमडी):** किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ₹ 10,000/- (₹ दस हजार केवल) की बयाना राशि उनके यथावत भरे गए बोली दस्तावेजों सहित बोलीदाता द्वारा जमा की जानी चाहिये। बैंक गारंटी की वैधता बोली को प्रस्तुत करने की तिथि से शुरू होने वाले 3 (तीन) महीनों तक होनी चाहिए। बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट पीएओ, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के पक्ष में और नई दिल्ली में देय होना चाहिये।
 - 4.1 किसी भी पिछले कार्य के संबंध में विभाग द्वारा धारित किसी भी लंबित बिल के प्रति समायोजन या सुरक्षा जमा या कोई भी पहले जमा की गई बयाना राशि के स्थानांतरण के लिये कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - 4.2 बोलीदाता को इसकी निबंधन एवं शर्तों में संशोधन या अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि बोलीदाता इसमें किये गये अनुबंध के पालन और अनुपालन को पूरा

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 20/जीएस/82-2015

दिनांक: 24.01.2017

करने में विफल रहे या दर प्रस्तुत करने के बाद पीछे हटे या कार्य आदेश की अस्वीकृति के मामले या निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में असफल होने के मामले में निविदा में भावी भागीदारी समाप्त करने के अतिरिक्त उपरोक्त बैंक गारंटी सरकार के पास जब्त कर ली जायेगी।

- 4.3 बयाना राशि के बिना बोली तुरंत खारिज कर दी जायेगी।
- 4.4 बयाना राशि जमा या प्रतिभूति जमा की राशि पर ब्याज या मूल्य में कटौती के संबंध में सरकार/विभाग के प्रति कोई दावा नहीं होगा।
- 4.5 निम्नांकित मामलों में बोली प्रतिभूति (बयाना राशि)/निष्पादन प्रतिभूति जब्त की जा सकती हैं।
- (क) यदि बोलीदाता बोली की वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापिस ले;
या
- (ख) अंतिम सफल बोलीदाता के मामलों में, यदि बोलीदाता
- i) निविदा के अनुसार ठेका निष्पादन सुरक्ष प्रस्तुत करने में विफल हो; या
- ii) यदि किसी स्तर पर कोई भी सूचना/उद्घोषणा गलत प्राप्त हो।
- iii) आपूर्तिकर्ता द्वारा नियमों तथा शर्तों तथा इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार ठेका निष्पादन करने में विफलता के मामले में फर्म द्वारा जमा प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी तथा रोक लगाने/ब्लैकलिस्ट करने के लिए कार्रवाई आरंभ की जाएगी।
- 4.6 अंतिम सफल बोलीदाता के संबंध में बोली प्रतिभूति (बयाना राशि) का बोलीदाता के ठेका हस्ताक्षरित करने तथा ठेका निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर भुगतान कर दिया जाएगा।
- 4.7 असफल बोलीदाताओं के ईएमडी बोलियों के खुलने की तारीख से 15 दिनों के अन्दर वापस कर दी जाएंगी।
5. **बोलियों को तैयार करना और प्रस्तुतीकरण:**
- बोलियों को एकीकृत तरीके अर्थात बोली दस्तावेज में कथित इस कार्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार सभी अपेक्षित दस्तावेजों द्वारा समर्थित बयाना राशि जमा सहित विशिष्ट प्रॉफार्मा में कीमतों को उद्धृत करते हुए लिफाफे में एकल बोली में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 20/जीएस/82-2015

दिनांक: 24.01.2017

5.1 **निविदा पर हस्ताक्षर:** ठेका से संबंधित बोलियों या अन्य दस्तावेजों पर वैयक्तिक हस्ताक्षर करने वाले को यह अवश्य स्पष्ट करना चाहिए कि उसने निम्नलिखित के रूप में हस्ताक्षर किया है:-

- (क) फर्म का “एकल स्वामी” या ऐसे एकल स्वामी की कानूनी अटार्नी।
- (ख) फर्म के भागीदार, को यदि यह भागीदारी फर्म है, जिसमें उसके पास फर्म की तरफ से ठेकों को कार्यान्वित करने और या तो फर्म के भागीदारों द्वारा भागीदारी करार के आधार पर या यथावत निष्पादित अटार्नी के अधिकार द्वारा भागीदारी के कारबार से संबंधित विवाचन विवादों को भेजने का अधिकार होना चाहिए।
- (ग) बोर्ड या कम्पनी यदि यह एक कम्पनी है, के निदेशकों द्वारा विधिवत प्राधिकृत निदेशक या प्रधान अधिकारी।

एन.बी.

- (1) भागीदारी फर्मों के मामलों में भागीदारी करार की एक प्रति या नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत प्रमाणित जनरल पावर ऑफ अटार्नी को भागीदारी करार या जनरल पावर ऑफ अटार्नी के कार्यान्वयन को स्वीकारते हुए सभी भागीदारों द्वारा विधिवत शपथबद्ध स्टाम्प लगे कागज पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फर्म के पंजीकरण के प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति भी निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
- (2) उन भागीदारी फर्मों के मामले में, जहां भागीदारी फर्म के कारबार से संबंधित विवादों को संदर्भ करने के लिए कोई प्राधिकार किसी पार्टी को नहीं दिए गए हैं, वहाँ बोलियों एवं सभी अन्य संबंधित दस्तावेजों पर फर्म के सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर अवश्य किये जाने चाहिए।
- (3) अन्य व्यक्ति की तरफ से बोलियों का भाग बनने वाले बोली फर्म या किसी अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसे दूसरे व्यक्ति की तरफ से बोली करने का प्राधिकार होना चाहिए और यदि, जांच करने पर यह प्रतीत हुआ कि हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने का प्राधिकार नहीं है तब भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय इसके प्राधिकारों हेतु पूर्ण धारणा के बिना ठेका को निरस्त कर देगा और हस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध सिविल एवं आपराधिक उपायों के अंतर्गत सभी लागतों, परिणामों और क्षतिपूर्तियों के लिए दायी बनाएगा।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 20/जीएस/82-2015

दिनांक: 24.01.2017

- (4) बोलीदाता बोलियों के प्रत्येक पृष्ठ और अपने अनुबंधों पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी/अपनी फर्म की मुहर लगाएगा क्योंकि बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव के स्वीकरण को ठेका के रूप माना जाएगा और कोई पृथक औपचारिक ठेका तैयार नहीं किया जाएगा। **इस बोली दस्तावेज से कोई पृष्ठ हटाया/अलग नहीं किया जाना चाहिए।** (यह उप-खण्ड उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां पृथक करार के हस्ताक्षर को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा आवश्यक समझा गया है)
6. **बोलियों की वैधता**
बोलियाँ, बोलियों के शुरू होने की तिथि से 180 दिन की अवधि के लिए वैध होगी।
7. **बोली खोलने की प्रक्रिया:**
बोली के खोलने की प्रक्रिया में एक से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होगा। बोलीदाता स्वयं उपस्थित रह सकता है या किसी को अधिकृत कर सकता है, प्रतिनिधि को बोलीदाता की तरफ से बोली खोलने में भाग लेने के लिए अपने साथ बोलीदाता से प्राधिकार पत्र एवं पहचान का सबूत लाना होगा।
8. **बोलियों के खोलने का स्थान:** बोली, समिति कक्ष में दिनांक **23.02.2017 को 3:00 बजे** अपराहन सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा, ऐसे बोलीदाताओं की उपस्थिति में जो उपस्थित होने के इच्छुक हैं, खोली जाएगी।
9. **स्वीकृति का अधिकार:** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को किसी भी बोली को अस्वीकार करने के सभी अधिकार हैं जिनमें वे बोलीदाता भी शामिल हैं जो बिना किसी कारण बताएं निर्देश का अनुपालन करने में विफल हों तथा न्यूनतम अथवा किसी भी विशेष बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। इस संदर्भ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम अथवा बाध्यकारी होगा।
- 9.1 निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में बोलीदाता की ओर से कोई भी असफलता तथा कार्य के लिए प्रचार करने के प्रयास से बोलीदाता की बोली अस्वीकृत हो जायेगी।
- 9.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को अपने विवेक से किसी सफल एजेंसी (यों) को कोई भाग अथवा पूर्ण संविदा प्रदान करने का अधिकार है और यह बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 20/जीएस/82-2015

दिनांक: 24.01.2017

- 9.3 एजेंसी जिसे संविदा प्रदान की गई है, द्वारा उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के प्रावधान के अनुपालन की विफलता की स्थिति में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को अगले उच्च बोलीदाता अथवा अन्य किसी बाहरी एजेंसी को संविदा प्रदान करने का अधिकार है तथा कीमत की भिन्नता चूककर्ता एजेंसी से वसूल की जाएगी जिसे प्रारंभिक रूप से संविदा प्रदान की गई है तथा यह बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।
10. **संविदाकार को सहायता:** संविदाकार न तो संविदा पूर्ण करने के लिये आवश्यक सामग्री की खरीद में और न ही दूसरे प्रकार से सहायता के लिये पात्र होगा।
11. **स्वीकृति की सूचना:** सफल बोलीदाता को इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करके उनकी बोली की स्वीकृति के बारे में सूचित किया जायेगा जो उनके पंजीकृत ई-मेल/पोस्टल पते पर भेजा जायेगा।
12. **संविदा की वैधता:** संविदा, यदि दी जाती है, शुरुआत में ठेका देने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये होगी यदि निरंतर संतोषजनक कार्य-निष्पादन हो। तथापि, संविदाकार/सफल बोलीदाता द्वारा इस पहलू में विफलता पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के पास संविदाकार द्वारा जमा सुरक्षा जमा जब्त करने के अतिरिक्त तुरंत संविदा समाप्त करने और एकमात्र भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम अधिकारी के विवेकाधिकार पर ब्लैक लिस्ट आदि करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार होगा। दो वर्षों की आरंभिक अवधि को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के विवेकाधिकार पर एक वर्ष की अधिकतम एक अतिरिक्त अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।
13. **प्रतिभूति जमा:** बोलियों के स्वीकरण पर ठेकेदार/सफल बोलीदाता भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अन्दर पीएओ, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली, नई दिल्ली के पक्ष में, नई दिल्ली में देय, बैंक प्रत्याभूति के रूप में निष्पादन प्रतिभूति जमा के रूप में ₹ 25,000/- (पच्चीस हजार रूपए केवल) जमा करेगा। बैंक गारन्टी को संविदा की किसी निबंधन/शर्त का गैर अनुपालन या असंतोषजनक निष्पादन या कार्य आदेश की गैर स्वीकृति अथवा किसी भी लापरवाही या उल्लंघन के मामले में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 20/जीएस/82-2015

दिनांक: 24.01.2017

आदेश द्वारा जब्त किया जा सकता है। संविदा की समाप्ति पर उपरोक्त बैंक गारन्टी का ऐसा भाग फर्म के बिल पर किए गए किसी गलत या अत्यधिक भुगतान को कवर करने के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा रखा जा सकता है, जब तक फर्म के बिल के लेखे पर अन्तिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति अथवा जांच नहीं हो जाती।

क) यदि संविदाकार को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिभूति को जमा करने के लिए बुलाया जाता है और संविदाकार विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रतिभूति जमा कराने में असफल रहता है तो ऐसी असफलता को संविदा का उल्लंघन माना जाएगा तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय संविदाकार के जोखिम तथा खर्च पर अन्य प्रबन्ध करने का हकदार होगा।

(ख) सभी संदर्भों में संविदा के उचित निष्पादन तथा समापन पर, जमा प्रतिभूति निर्धारित फार्म में पूर्ण बेबाकी प्रमाण पत्र की प्रस्तुती पर तथा खरीददार से संबंधित ठेकेदार को जारी किए गए किन्हीं विनिर्देशकों, नमूनों अथवा अन्य सम्पत्ति के अच्छी अवस्था में वापसी पर बिना किसी ब्याज के ठेकेदार को वापिस की जाएगी।

14. शास्ति:

(क) संविदा की किसी शर्त के उल्लंघन के मामलों में तथा संविदा के दौरान हुई सभी प्रकार की हानि के लिए, ठेकेदार को ऐसी हानि के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय को पूर्ण क्षतिपूर्ति करनी होगी।

(ख) अनुबंधों में यथा निर्धारित या ठेकेदार द्वारा ठेका में सहमति दिए गए निष्पादन कार्यों में लापरवाही के मामले में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय ठेकेदार की लागत और जोखिम पर अन्य स्रोतों से बाहर की खिड़कियाँ साफ करवाने के लिए स्वतंत्र होगा और ठेकेदार द्वारा दिए गए बिलों से कटौती करेगा या इसके या किसी दूसरे ठेके या प्रतिभूति जमा के अंतर्गत ठेकेदार को देय हो जाएगा या भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के क्रेडिट में सात दिनों में भुगतान करने के लिए उससे मांग की जा सकती है।

(ग) ठेकेदार को इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित संविदागत बाध्यताओं के अनुसार कार्य को उपक्रमित करने की आवश्यकता है। यदि ठेकेदार ऐसा करने में विफल होता है तो प्रति दिन ₹ 1000/- की शास्ति लगाई जाएगी।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 20/जीएस/82-2015

दिनांक: 24.01.2017

(घ) यदि ठेकेदार बाहर की खिड़कियों की पूर्ण रूप से 7 दिनों के भीतर सफाई करने में विफल होता है तो ₹ 1000/- प्रति दिन की शास्ति लगाई जाएगी।

(ङ) इस शर्त के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय की शक्तियों के प्रावधानों के अनुसार न तो उनमें निहित ठेका को समाप्त करने के लिए कतिपय मामलों में शक्तियों को किसी भी तरह प्रभावित करेगी और न ही उपरोक्त खण्ड 13 के अन्तर्गत उल्लिखित जमा को जब्त करेगी।

15. **दावा त्यागना:** भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय कर्मचारियों के निकट रिश्तेदारों को इस बोली में भाग लेने की मनाही है। इस उद्देश्य के लिए संबंधियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

(क) अविभाजित हिन्दु परिवार के सदस्यों के रूप में;

(ख) उनके पति या पत्नी

(ग) एक दूसरे से इस प्रकार से संबंध जैसे पिता, माता पुत्र, पुत्र की पत्नी (बहू), पुत्री, पुत्री का पति (दामाद), भाई एवं भाई की पत्नी, बहन और बहन का पति (बहनोई)।

16 **दिवालियापन:**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित घटना में से किसी घटना पर ठेकेदार को बिना मुआवजे के सरसरी तौर पर लिखित में नोटिस द्वारा ठेका समाप्त कर सकता है जो इस प्रकार है:

यदि ठेकेदार व्यक्तिगत या फर्म के रूप में ठेकेदार की फर्म का कोई भागीदार, किसी भी समय दिवालिया घोषित होने पर या उसके विरुद्ध उसकी संपदा के प्रशासन के लिए प्राप्त आदेश या आदेशो या परिसमापन के लिए कोई कार्रवाई या उस समय लागू नहीं किसी दिवालियापन के तहत कोई संरचना या कोई सुविधा या उसके कार्य के प्रयास या कोई प्रबंधन करता है या अपने क्रेडिटर्स के साथ समझौता या भुगतान स्थगित करे यदि फर्म भागीदारी के तहत भंग की जाती है अथवा;

i) यदि एक कम्पनी होने के नाते ठेकेदार एक प्रस्ताव पारित करेगा या कोर्ट मामलों के परिसमापन के लिए आदेश करेगा या डिबेंचरधारक की ओर से प्रबंधक या प्राप्तकर्ता की

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 20/जीएस/82-2015

दिनांक: 24.01.2017

नियुक्ति की जाए या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जो न्यायालय या डिबेंचर धारक को प्राप्तकर्ता या प्रबंधक की नियुक्ति का हकदार बनाए।

- ii) यदि ठेकेदार इस ठेके का उल्लंघन करता है जिसका किसी विशिष्ट रूप से सबूत न हो, बशर्ते कि ऐसी अवधारणा कार्रवाई के किसी अधिकार को क्षति नहीं पहुंचाएगी या उपचार उपचित किया जाएगा या उसके बाद खरीददार को उपार्जित होगा और मुहैया किया गया है कि ठेकेदार खरीददार को किसी अतिरिक्त व्यय के भुगतान का दायी होगा, इस प्रकार वह, किसी लाभ या पुनः खरीद का हकदार नहीं होगा।

17. ठेका भंग करना:

ठेके की किसी निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन के मामले में, भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक के सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए ठेका रद्द करने का अधिकार होगा तथा निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा के मामले में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कुछ भी देय नहीं होगा तथा उसे जब्त और भुना लिया जाएगा।

18. **कार्य का उप-ठेका देना:** भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ठेकेदार ठेका या उसके किसी भाग का उप-ठेका, हस्तांतरण या किसी और को कार्य नहीं सौंपेगा। ठेकेदार द्वारा इस शर्त के उल्लंघन करने पर, सक्षम प्राधिकारी ठेकेदारों के जोखिम तथा लागत पर अन्य किसी को ठेका देने का हकदार होगा और ठेकेदार उस हानि क्षति के लिए उत्तरदायी होगा जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को ठेके के इस प्रकार प्रतिस्थापन के कारण हो सकती है।

19. भुगतान की शर्तें:

- 19.1 कार्य प्रदान करने के आधार पर अग्रिम में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा तथा न ही किसी बैंक या वित्तीय संस्था से किसी ऋण की सिफारिश की जाएगी।
- 19.2 ठेकेदार को कार्यालय के लिए कार्य का निष्पादन करने के पश्चात बिल प्रस्तुत करने होंगे। भुगतान केवल ठेकेदार द्वारा संतोषजनक तरीके से कार्य को पूर्ण करने के पश्चात ही किए

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 20/जीएस/82-2015

दिनांक: 24.01.2017

जाएंगे। लापरवाही या ठेके के किसी नियम व शर्तों के उल्लंघन के मामले में संविदा में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

- 19.3 सभी भुगतान सरकार के नियमों के अनुसार तथा समय-समय पर लागू रूप में टी.डी.एस. घटाने के पश्चात केवल बैंक/एनईएफटी द्वारा ही किए जाएंगे।
- 19.4 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के पूर्ववर्ती पैरा में वर्णित जुर्मानों की वसूली के तहत किसी भी भुगतान को पूर्ण या आंशिक रूप से रोकने की स्वतंत्रता होगी।
- 19.5 इस पैरा में वर्णित शब्द 'भुगतान' में ठेके के पृथक खंडों द्वारा शासित बयाना राशि जमा तथा प्रतिभूति जमा को छोड़कर इस ठेके के कारण उत्पन्न ठेकेदार को देय सभी प्रकार के भुगतान सम्मिलित हैं।

20. प्रमाण-पत्र/प्रत्यय पत्र:

- (क) बोलीदाता को बाहरी खिड़की की सफाई कार्य की सेवा प्रदान करने में कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए। बोलीदाता को संबंधित सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी कार्य आदेशों की प्रतियों के साथ अनुभव प्रमाणपत्र की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।
- (ख) बोलीदाता को आयकर विभाग एवं सेवाकर विभाग में पंजीकृत होना चाहिए। पैन/सेवाकर पंजीकरण की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करनी होंगी।
- (ग) बोलीदाता को भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग या किसी पी.एस.यू. अथवा किसी संगठन द्वारा ब्लैक-लिस्ट नहीं होना चाहिए। बोलीदाता को बोली के साथ-साथ इसके प्रभाव की वचनबद्धता संलग्न करनी आवश्यक होगी।

21. **जांच:-** यह कार्य, किसी भी मामले में, कार्यान्वयन के बाद भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए दायी होगा और विनिर्देश/ गुणवत्ता के अनुसार न पाई गई किसी मद(ओं) को निरस्त कर दिया जाएगा तथा ठेकेदार को अपनी लागत तथा जोखिम

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 20/जीएस/82-2015

दिनांक: 24.01.2017

पर उक्त को पुनः कार्यान्वित करना होगा और अन्यथा वह ऐसे निरस्तीकरणों के लिए उत्तरदायी होगा।

22. ठेकेदार की ओर से ठेकागत दायित्व:

- (i) ठेकेदार को दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित कार्यालय की खिड़कियों की बाहरी तरफ से सफाई, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग के कार्यालय की खिड़कियों के प्रांगण तथा बहादुर शाह जफर मार्ग पर गेस्ट हाउस की खिड़कियों की बाहरी सफाई का कार्य एक वर्ष में कम से कम दो बार करना होगा। एनेक्सी बिल्डिंग की खिड़कियों की सफाई का कार्य आवश्यकता के आधार पर दिया जाएगा। कथित स्थानों पर न्यूनतम दो कार्यों के अतिरिक्त ठेकेदार को आवश्यकता के आधार पर खिड़कियों की बाहरी सफाई के कार्य के लिए भी बुलाया जा सकता है।
- (ii) ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बाहरी खिड़कियों की सफाई के कार्य में लगे इसके सभी मजदूरों/कार्मिकों का बीमा कंपनियों में समुचित रूप से बीमा कराया गया है। कार्य में लगे मजदूरों से संबंधित बीमा की एक प्रति कार्य शुरू करते समय ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।
- (iii) ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि कार्य करते समय उसकी फर्म/मजदूरों द्वारा सभी सुरक्षा सावधानी/उपाय किए जाते हैं। कार्य सभी सुरक्षा एहतियाती उपाय के साथ बेहतर कार्यकुशलता से होना चाहिए जो कि पूर्ण रूप से ठेकेदार का दायित्व होगा तथा इस संदर्भ में इस कार्यालय की अपनी कोई जवाबदेही नहीं होगी।
- (iv) ठेकेदार को प्रदत्त कार्य का निष्पादन करते समय होने वाले किसी भी नुकसान के मामले में ठेकेदार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय को क्षतिपूर्ति करेगा। इस आधार पर पूर्ण देयता ठेकेदार की होगी। ठेकेदार यथोचित परिश्रम करेगा तथा कार्य करते समय किसी लापरवाही के लिए जवाबदेह होगा। कार्यालय द्वारा ऐसी किसी लापरवाही के आधार पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 20/जीएस/82-2015

दिनांक: 24.01.2017

- (v) ठेकेदार के कार्मिक इस कार्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे और वे इस ठेके के अंतर्गत अपने रोजगार/इयूटी से होने वाले किसी वेतन या भत्ते, क्षतिपूर्ति, नुकसान अथवा किसी भी चीज का दावा नहीं करेंगे। ठेकेदार इस करार के तहत तैनाती के पूर्व लिखित में इस स्थिति के बारे में बताएगा।
- (vi) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को सभी विधिक अथवा अन्यथा लाभ भी स्वयं की लागत पर प्रदान करेगा और इसके लिए ग्राहक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठेकेदार लेबर कानून, मजदूर क्षतिपूर्ति अधिनियम, ईपीएफ कानून, ईएसआईसी कानून, आयकर कानून एवं न्यूनतम मजदूरी कानून, ठेका श्रमिक (विनियम उन्मूलन अधिनियम) अथवा लागू किसी अन्य कानून का भी पालन करेगा।
- (vii) ठेकेदार अपने सभी कार्मिकों को ईपीएफ, श्रमिक, ईएसआईसी आदि के संदर्भित कानून के तहत कवर करेगा। ठेकेदार को इसका साक्ष्य प्रत्येक तिमाही में प्रस्तुत करना होगा।
- (viii) ठेकेदार 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति की तैनाती नहीं करेगा। इसमें लगे श्रमिक कार्य करने में प्रशिक्षित होने चाहिए।
- (ix) ठेकेदार ठेका के प्रावधानों के तहत अपनी सेवाओं के निष्पादन हेतु अपने प्रशिक्षित एवं वर्दीधारी कार्मिकों के माध्यम से वांछित सेवा प्रदान करेगा और ये सभी तैनात कार्मिक ठेकेदार के अपने कर्मचारी ही होंगे और ग्राहक कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी तथा सांविधिक देयता (जैसे ईएसआई एवं पीएफ इत्यादि) का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।
- (x) ठेकेदार इयूटी करते समय व्यक्तिगत दुर्घटना और मृत्यु के लिए अपने कार्मिकों को कवर करेगा इस संबंध में इस कार्यालय की अपनी कोई जिम्मेदारी या दायित्व नहीं होगा।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 20/जीएस/82-2015

दिनांक: 24.01.2017

- (xi) ठेकेदार इस कार्यालय में बाहरी शीशे की सफाई में अपेक्षित सेवाओं के प्रावधान में संलग्न अपने किसी कर्मचारियों या ठेकेदार द्वारा ठेके के किसी उल्लंघन, गलत कार्य या लापरवाही द्वारा किसी देयता, दावा, हानि या क्षतियों के प्रति अपने कर्मचारियों और इस कार्यालय में किसी नुकसान की क्षतिपूर्ति स्वयं करेगा।
- (xii) ठेका की अवधि के दौरान कार्य करने हेतु अपेक्षित सामग्री को लाने के लिए कार्यालय द्वारा कोई यातायात प्रभार नहीं दिया जाएगा।
- (xiii) उद्धृत दरें दो वर्षों हेतु वैध होंगी। ठेके के दौरान किसी भी मूल्य वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (xiv) उद्धृत दरों में ठेके के दौरान कार्य करने हेतु अपेक्षित सामग्री, मजदूर, रसायन या किसी अन्य वस्तुओं/सामग्रियों का मूल्य शामिल होगा।
- (xv) पूर्व निर्धारित समय-सीमा अथवा तिमाही आधार पर या कार्यालय के निर्देशानुसार कार्य के गैर निष्पादन की घटना में तात्कालिक बिलों या बाद के बिलों से पैन्ल प्रभार काटा जाएगा। यदि किसी वस्तु/सामान/कार्यालय के उपकरण/किसी अन्य सामान के क्षति का मामला देखा जाता है तो ठेकेदार कार्यालय को तदनुसार लागत का भुगतान करने हेतु दायी होगा और कार्यालय को इस संबंध में कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होगा।
- (xvi) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उस अवधि के दौरान बेहतर गुणवत्ता का रसायन प्रयोग किया जा रहा है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि अवमानक/घटिया गुणवत्ता वाले सामान का प्रयोग किया गया है तो ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी जिसमें प्रतिभूति जमा जब्त करने के साथ-साथ भविष्य में बोली उद्धृत करने से उनको वंचित कर दिया जाएगा।
- (xvii) ठेकेदार शिकायत दर्ज करने के लिए अपनी सेवा एजेंसी के टेलीफोन नंबर के अतिरिक्त संविदा आवेदन प्रपत्र (अनुलग्नक- III) में ई-मेल एकाउंट भी अवश्य उपलब्ध

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 20/जीएस/82-2015

दिनांक: 24.01.2017

करायेगा। सभी शिकायतें ठेकेदार द्वारा तुरंत दूर की जाएंगी, ऐसा न होने पर पैरा 14 में विनिर्दिष्ट जुर्माना ठेकेदार पर लगाया जाएगा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

23. मध्यस्थता : फर्म और इस कार्यालय के बीच किसी भी विवाद या मतभेद होने पर, चाहे वह इन शर्तों एवं निबंधनों के तहत आदेशों के निष्पादन के दौरान हो अथवा उसके बाद, चाहे वह उल्लंघन या इस तरीके से हो:
- (i) शर्तों एवं निबंधनों का गठन
 - (ii) पक्षों के तत्संबंधी अधिकार या देयतायें इस आधार पर होंगी।
 - (iii) इस शर्तों एवं निबंधनों के संबंध में या संबंधित अथवा इससे जुड़ी कोई बात या मामला होने पर या तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को नोटिस देगा और ऐसा विवाद या मतभेद भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा देखा जाएगा और ऐसे मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्य होगा।
24. यह ठेका दिल्ली/नई दिल्ली के सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

(दिनेश कुमार)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (सा.से.)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 20/जीएस/82-2015

दिनांक: 24.01.2017

अनुलग्नक-II

आपके मूल्य उद्धरण

क्र.सं.	विवरण	इकाई	उद्धरित मूल्य
1.	डी.डी.यू मार्ग, नई दिल्ली पर स्थित कार्यालय की बाहरी खिड़कियों का सफाई कार्य	प्रति वर्ग फुट*	
2.	डी.डी.यू मार्ग, नई दिल्ली पर स्थित कार्यालय की आंतरिक खिड़कियों का सफाई कार्य	प्रति वर्ग फुट*	
3.	बीएसजैड मार्ग, नई दिल्ली पर स्थित कार्यालय के मुख्य भवन के चौथे तल पर अतिथि गृह की बाहरी खिड़कियों का सफाई कार्य	प्रति वर्ग फुट*	
4.	बीएसजेड मार्ग, नई दिल्ली में एनेक्सी भवन की खिड़कियों की सफाई	प्रति वर्ग फुट**	

{* मूल्य उद्धरण से पहले, बोलीदाता को सफाई के वास्तविक क्षेत्र को देखने हेतु निविदा की प्राप्ति की अंतिम तिथि से पहले किसी भी कार्य दिवस पर 3:00 बजे सायं और 4:00 बजे सायं के बीच साईट देखनी चाहिए}

{**बीएसजेड, नई दिल्ली में कार्यालय के एनेक्सी भवन की खिड़कियों की सफाई का कार्य केवल आवश्यकता आधार पर दिया जाएगा}

- (i) ठेकेदार से डी.डी.यू मार्ग पर स्थित कार्यालय की बाहरी खिड़कियों का सफाई कार्य; डी.डी.यू मार्ग पर स्थित कार्यालय की आंतरिक खिड़कियों का सफाई कार्य और

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 20/जीएस/82-2015

दिनांक: 24.01.2017

बी.एस.जैड मार्ग पर स्थित अतिथि गृह की बाहरी खिड़कियों का सफाई कार्य पर प्रति वर्ष दो बार करना अपेक्षित होगा। एनेक्सी भवन की खिड़कियों का सफाई कार्य आवश्यकता के आधार पर दिया जाएगा। उक्त स्थानों पर न्यूनतम दो सफाई कार्यों के अतिरिक्त ठेकेदार को आवश्यकता के आधार पर बाहरी खिड़कियों की सफाई का कार्य करने के लिए भी बुलाया जा सकता है।

- (ii) किए गए कार्य की वास्तविक मात्रा के आधार पर संगणित भुगतान लागू टीडीएस की कटौती करने के पश्चात ठेकेदार को किए जाएंगे जैसाकि भुगतान की शर्तों में बताया गया है (अनुबंध-1)।
- (iii) बोलीदाता संविदा की अवधि अर्थात संविदा देने की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ग फुट आधार पर मूल्य उद्धृत करेंगे। ठेकेदार से संविदा आमंत्रित करने के नोटिस में दर्शाई गई निबंधन और शर्तों के अनुसार आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।
- (iv) कीमतें संविदा की अवधि हेतु वैध होंगे और कीमतों में संविदा की अवधि के दौरान कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।
- (v) कीमतें परिवर्तन, सुधार, ओवरराईटिंग आदि रहित होंगे, ऐसा करने में असफल होने पर बोली को तुरंत: निरस्त कर दिया जाएगा।

तिथि:

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

स्थान:

(कार्यालयी सील)

पूरा नाम और पदनाम

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 20/जीएस/82-2015

दिनांक: 24.01.2017

अनुबंध-III

निविदा आवेदन फार्म

1.	बोलीदाता एजेंसी का नाम	
	बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पदनाम	
2.	पूरा डाक पता	
3.	दूरभाष नं.	
	मोबाइल नं.	
	फैक्स नं.	
4.	ई-मेल	
5.	फर्म की स्थापना की तिथि	
6.	प्रयोजन का प्रकार (रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न की जानी चाहिए)	
7.	रजिस्ट्रेशन सं. (अभिप्रमाणित/स्व-अभिप्रमाणित/भागीदारी विलेख/ स्वामित्व विलेख की प्रति संलग्न की जानी चाहिए)	
8.	क्या बोलीदाता के पास सरकारी विभाग में समान क्षेत्र में तीन वर्ष से अधिक का अनुभव है (यदि हाँ, समर्थन दस्तावेज/अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित सरकारी कार्यालय से यथायोग्य अभिप्रमाणित करवाकर संलग्न की जानी चाहिए)	
9.	पैन खाता नम्बर (पैन की अभिप्रमाणित/स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए)	
10.	सेवा कर नम्बर (सेवा कर की अभिप्रमाणित/स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए)	
11.	ईएमडी मांग ड्राफ्ट संख्या तथा तिथि	
	जारी करने वाले बैंक का विवरण	
	राशि	

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 20/जीएस/82-2015

दिनांक: 24.01.2017

वचन

1. मैं अधोहस्ताक्षरित प्रमाणित करता हूँ कि मैंने बोली दस्तावेज में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने का वचन देता हूँ।
2. मेरे द्वारा प्रस्तुत दरें वैध हैं और ठेके की पूर्ण अवधि के लिये मुझ पर बाध्यकारी हैं और यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत दरें न्यूनतम दरें हैं जैसी भारत में किसी भी अन्य संस्था में प्रस्तुत हैं।
3. मैं/हम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को मेरे/एजेन्ट की ओर से कोई विलम्ब या वांछित सेवा प्रदान करने में विफलता अथवा कार्य आदेश की गैर स्वीकृति अथवा दिए गए समय में वांछित गुणवत्ता या निष्पादन बैंक गारंटी प्रदान करने में विफलता के मामले में जमा को जब्त करने का अधिकार देता हूँ।
4. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं निविदा दस्तावेज/कार्य आदेश/करार की शर्तों में दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर सेवार्यें प्रदान करूंगा, यदि मैं विफल हुआ तो मुझे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ब्लैक लिस्टेड/वंचित किया जा सकता है।
5. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि भारत सरकार या किसी अन्य सरकारी निकाय/पीएसयू/स्वायत्त निकाय ने हमें या हमारी किसी भी शाखा को भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, छल-कपट या अनैतिक कार्यों अथवा किसी भी प्रकार की विफलता/चूक के लिए अनर्हक या ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

पदनाम:

(बोलीदाता की कार्यालय मुहर)